न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 15/2022 (द0प्र0सं0 की धारा 147)

खुबलाल पंडित वगै0 ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

प्रकाश राणा वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

11-1-24

आवेदक खुबलाल पंडित वगैरह के आवेदन के अवलोकन से संतुष्ट होकर अधोहस्ताक्षरी के स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित भूमि पर रास्ता / सुखापभोग को लेकर तनाव की स्थिति को देखते हुए द0प्र0सं0 की धारा 147 के अंतर्गत दिनांक 07.04.2022 को कार्यवाई आरंभ की गई।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना/अंचल	जिला	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
बगोदरडीह	बगोदर	गिरिडीह	173	1297	02 डी0
चौहद्दी :	उ0- नहर, द0- खुबलाल पंडित, पू0- विक्रेता, प0- हेमलाल मिस्त्री,				

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष खुबलाल पंडित तथा सकरी देवी का कहना है कि यह विवाद रास्ते को लेकर है जिसका उपयोग वे घर आने जाने के लिए करते हैं। विपक्षीगण खाता नं0 173 प्लॉट नं0 1297 पर बने रास्ते को दीवार खड़ा कर अवरूद्ध कर दिए हैं तथा प्रथम पक्ष को अपने घर से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। प्रथम पख आगे कहते है कि उक्त रास्ते की जमीन का नहर परियोजना में अधिग्रहण होने से विपक्षीगण मुआवजा भी प्राप्त कर चुके है।

प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक विक्रयपत्र की छायाप्रति दाखिल करते है जो कि संयुक्त रूप से कई व्यक्तियों के साथ साथ खुबलाल कुम्हार पिता हरखु कुम्हार के नाम से निबंधित है। उक्त भूमि के चौहद्दी में उत्तर में नहर दर्ज है। प्रथम पक्ष उक्त भूमि का एक लगान रसीद की छायाप्रति

भी दाखिल करते हैं।

द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में रास्ता अवरूद्ध किए जाने से इंकार करते है।

प्रथम पक्ष के गवाह सं0- 01 पक्षकार स्वयं खुबलाल पंडित अपनी गवाही में कहते है कि उक्त वादग्रस्त प्लॉट पर 70 फीट लम्बा तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता है जिसका उपयोग वह पिछले 70 (सत्तर) वर्षो से करते आ रहे है। प्रतिपरीक्षण में केस सं0 तथा विपक्षी का नाम बतलाते है। यह भी बतलाते है कि वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खाते की है तथा उत्तर दिशा से उनका आना-जाना है तथा वर्त्तमान में पूरब दिशा से जाना-आना हो रहा है।

प्रथम पक्ष मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह सं0- 02 संजय कुमार यादव पिता- हरगोविन्द यादव को प्रस्तुत करते है जो अपनी गवाही में कहते है कि रास्ते का विवाद है तथा प्रथम पक्ष का यही एक मात्र रास्ता है। द्वितीय पक्ष के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं हो पाया है।

वाद की सुनवाई के दौरान उत्तरवर्त्ती तिथियों में द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे तथा मौखिक साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए।

उभय पक्ष की कारण पृच्छा का अध्ययन करने, प्रस्तुत राजस्व कागजातों का अवलोकन करने, प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यों के गवाही / प्रतिपरीक्षण का मूल्यांकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि प्रथम पक्ष के खरीदगी जमीन के उत्तर में नहर दर्ज है तथा विवादित रास्ते के चौहद्दी के उत्तर में भी नहर दर्ज है अर्थात प्रथम पक्ष के खरीदगी जमीन से उत्तर की ओर निकास मार्ग है। विपक्षीगण के द्वारा नहर की जमीन में अवरोध उत्पन्न करना उचित प्रतीत नहीं होता है। विपक्षीगण उक्त अवरोध से इंकार भी करते है। अतः प्रथम पक्ष के जमीन की उत्तर दिशा की ओर स्थित रास्ते के सुखापभोग की संपुष्टि की जाती है। नहर परियोजना के प्रशासक की आपत्ति से यह निर्णय प्रभावित होगा।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी बगोदर तथा नहर परियोजना के नियंत्रक / प्रशासक को भेजी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

11/1/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

11/1/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.05.27 11:04:09 +05:30
Location: 192.168.1.6